माननीय राजस्व मण्डल इन्दौर संभाग इन्दौर

नि – 3292 – PBR/16

(1) राजेश पिता श्री हीरालाल केसरी
आयु वयस्क धंधा व्यापार

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री मुश्फिक खान
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 30.8.2016
को प्रस्तुत।

(2) प्रमोद पिता श्री हीरालाल केसरी
आयु वयस्क धंधा व्यापार

(3) प्रकाश पिता श्री हीरालाल केसरी
आयु वयस्क धंधा व्यापार

624/30.08.2016

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

(4) प्रताप पिता श्री हीरालाल केसरी
आयु वयस्क धंधा व्यापार
सभी निवासी–हीरा टायर उद्योग देवास नाका
लसूडिया मोरी, इन्दौर ———— आवेदकगण

विरूद्ध

(1) गोपाल पिता श्री कन्हैयालाल मित्तल
आयु वयस्क धंधा व्यापार
निवासी 61, 62 पीर गली, इन्दौर

(2) बिहारीलाल पिता श्री कन्हैयालाल मित्तल
आयु वयस्क धंधा व्यापार,
निवासी 61, 62 पीर गली, इन्दौर

~~(3) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला इन्दौर
मोती तबेला कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर~~ ———— अनावेदकगण

noted 18/10/16.

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

यह कि, श्रीमान तहसीलदार महोदय इन्दौर द्वारा बटांकन प्रकरण क्रमांक 03/अ–3/2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 2/4/2016 जिसके द्वारा आवेदकगण के भूमि स्वामी स्वत्व की सर्वे नम्बर 28/1/5/1 रकबा 0.033 हेक्टेयर एवं 28/1/5/2 रकबा 0.020 हेक्टेयर भूमि तथा अनावेदकगण की 98/1/6 रकबा 0.100 हेक्टेयर ग्राम लसुडिया मोरी भूमि का बटांकन किया गया से व्यथित होकर यह पुरनिरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3292–पीबीआर/2016 [सत्येश/ओमान] जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–10–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री मुशफिक खान उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय के आदेश दिनांक 2–4–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44(1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत अपील योग्य आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रतिबंधित है । अतःयह निगरानी प्रथमदृष्टया विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	